राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड़ मिनरल्स लिमिटेड़
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
कॉरपोरेट कार्यालयः– 4, मीरा मार्ग, उदयपुर – 313 001
रजि. कार्यालयः–सी–89–90, लाल कोठी स्कीम जयपुर, CIN-U14109RJ1949SGC000505
Phone : 0294-2428763-67, Fax : 0294-2428770/2428739
e-mail : info.rsmml@rajasthan.gov.in, Website: www.rsmm.com

क्रमांकः– आरएसएमएम / सीओ / पर्स / 6(15) / 2015 / 786 दिनांकः– 03.01.2025

–:परिपत्रः–

विषयः–आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियो द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर ERP सॉफ्टवेयर में IPR M0DULE द्वारा ऑन–लाईन स्वयं द्वारा भरने के संबंध में।

आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को भी राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.13(76)कार्मिक / क–1 / गो.प्र. / 2021 / 02463 दिनांक 30.12.2024 के अनुसार प्रतिवर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण भरे जाने का प्रावधान किया गया है।

आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियो को निम्नांकित बिन्दुओं के अनुसार व्यादिष्ट किया जाता है कि इस संबन्ध में इन बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करावें।

1. प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी आरएसएमएमएल क` समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2024 (01 जनवरी 2025 की स्थिति) का अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी 2025 तक अनिवार्य रुप से भरा जाना है, 31 जनवरी के पश्चात IPR MODULE को बन्द कर दिया जावेंगा। उसके बाद अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरा जा सकता।

2. आरएसएमएमएल के जो अधिकारी / कर्मचारी अपने अचल सम्पत्ति विवरण की सूचना उपर्युक्त समय सीमा में ऑन लाईन नही भरेगें / प्रस्तुत नही करेंगें, उन्हे राजस्थान सरकार, कार्मिक (क–1 / गो.प्र.) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(76) कार्मिक / क–1 / गो.प्र. / 2011 दिनांक 29.06.2021 के अनुसार विजिलेंस क्लियरेंस नही दी जावेंगी एवं वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जावेगा एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.01.2023 अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

3. आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों का` SSO-ID से ERP सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन लाईन IPR MODULE भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु श्री नीरज श्रीमाली, उप महाप्रबन्धक (आई.टी.), कॉरपोरेट कार्यालय, उदयपुर से सम्पर्क कर सकते है।

अतः आरएएमएमएल के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से ERP सॉफ्टवेयर IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन स्वयं समय सीमा में पूर्ति करें।

उक्त परिपत्र सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पश्चात जारी किया जा रहा है।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपिः–

1. निजी सहायक, श्रीमान प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
2. वित्तिय सलाहकार, आरएसएमएमएल, सी.ओ. उदयपुर।
3. समस्त समूह महाप्रबन्धक / लिग्नाईट / लाईमस्टोन / रॉक फॉस्फेट / प्रमुख एवं प्रभारी, एसबीयू–पीसी जिप्सम एवं समस्त विभागाध्यक्ष, कॉरपोरेट कार्यालय, उदयपुर / आरओ जयपुर / देहली / कोलकता कार्यालय को निर्देशानुसार भेजकर लेख है कि अपने अधिनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्देशित करते हुये इसकी पालना सुनिश्चित करावें।
4. श्री नीरज श्रीमाली, उप महाप्रबन्धक (आई.टी.),।
5. सम्बन्धित पत्रावली / गार्ड पत्रावली / संबंधित नोटिस बोर्ड।

Signature valid
Digitally signed by Kirti Rathore
Designation : Executive Director (प्रशासन)
Date: 2025.01.03 17:48:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12806350